संभल हिंसा मामला

न्यायिक आयोग ने योगी को सौंपी रपट, दंगे की साजिश की ओर इशारा

लखनऊ, 28 अगस्त (भाषा)।

संभल में पिछले साल 24 नवंबर को शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा के मामले की जांच के लिए गठित तीन सदस्यीय न्यायिक आयोग ने गुरुवार को अपनी रपट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंप दी। गृह विभाग के प्रमुख सचिव संजय प्रसाद ने बताया कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश देवेंद्र कुमार अरोड़ा की अध्यक्षता में मामले की जांच के लिए तीन सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन किया गया था।

आयोग के सदस्य देवेंद्र कुमार अरोड़ा, 1979 बैच के सेवानिवृत्त भारतीय पुलिस सेवा (आइपीएस) अधिकारी अरविंद कुमार जैन और सेवानिवृत्त आइएएस अमित मोहन प्रसाद ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की और अपनी रपट सौंपी। संजय प्रसाद ने रपट के विवरण के बारे में पूछे जाने पर कहा कि रपट का अध्ययन करने के बाद हम इस बारे में कुछ बता सकेंगे। आयोग का गठन 28 नवंबर 2024 को किया गया था। उसके बाद उसने एक दिसंबर को पैनल ने पहली बार गवाहों के बयान दर्ज करने के लिए हिंसा प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया था। न्यायिक आयोग में शामिल उत्तर प्रदेश के पूर्व पुलिस महानिदेशक एके जैन ने बताया कि हमने अपनी रपट मुख्यमंत्री को सौंप दी है। यह एक विस्तृत रपट है। जैन ने रपट को गोपनीय करार देते हुए उसमें शामिल की बातों का खुलासा करने से इनकार कर दिया।

> *न्यायिक* आयोग में शामिल उत्तर प्रदेश के पूर्व पुलिस महानिदेशक एके जैन ने बताया कि हमने अपनी रपट मुख्यमंत्री को सौंप दी है। यह एक विस्तृत रपट है। जैन ने रपट को गोपनीय करार देते हुए उसमें शामिल की बातों का खुलासा करने से इनकार कर दिया।
>
> *उन्होंने* कुछ रपटों की प्रामाणिकता के बारे में पूछे गए सवालों का भी जवाब नहीं दिया, जिनमें दावा किया गया था कि रपट में जनसांख्यिकीय बदलाव का जिक्र किया गया है जिसके मुताबिक संभल में हिंदुओं की आबादी घट रही है।

उन्होंने कुछ रपटों की प्रामाणिकता के बारे में पूछे गए सवालों का भी जवाब नहीं दिया, जिनमें दावा किया गया था कि रपट में जनसांख्यिकीय बदलाव का जिक्र किया गया है जिसके मुताबिक संभल में हिंदुओं की आबादी घट रही है। कुछ कथित रपटों के अनुसार न्यायिक पैनल ने अपनी लगभग 450 पृष्ठों की रपट में इस बात का भी जिक्र किया है कि संभल में कैसे हिंदू आबादी अब घटकर लगभग 15 से 20 फीसद ही रह गई है। यह पहले की तुलना में आधी से भी कम है। हालांकि, जैन ने यह कहते हुए खुलकर बात नहीं की कि पैनल को रपट की विषय-वस्तु का खुलासा करने का अधिकार नहीं है। जैन ने कहा कि यह रपट कैबिनेट और बाद में उत्तर प्रदेश विधानसभा में भी एक प्रक्रिया के तहत पेश की जाएगी। न्यायिक पैनल ने अपने गठन के बाद से चार बार संभल का दौरा किया है। 24 नवंबर को टीम सर्वे करने पहुंची थी। इस दौरान हिंसा हुई और चार लोगों की मौत हो गई तथा 29 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे।

गवाहों ने की हिंदुओं को सुरक्षा देने की मांग

संभल, 28 अगस्त (भाषा)।

शाही जामा मस्जिद के एएसआइ सर्वेक्षण के दौरान भड़की हिंसा के मामले की जांच कर रहे तीन सदस्यीय न्यायिक आयोग के समक्ष गवाही देने वाले लोगों ने गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और जिले से उनके पलायन को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने का आग्रह किया।

न्यायिक आयोग के समक्ष अपना बयान दर्ज कराने वाले संजय शंखधर ने कहा कि उन्होंने न्यायिक आयोग के समक्ष संभल में हिंदुओं की घटती आबादी का मुद्दा उठाया था। शंखधर ने कहा कि वर्ष 1948 में संभल में हिंदुओं की जनसंख्या 50 फीसद थी, जो अब घटकर 15-18 फीसद रह गई है। यह पलायन के बारे में बहुत कुछ संकेत दे रहा है।

> *आयोग* के समक्ष संजय शंखधर संभल में हिंदुओं की घटती आबादी का मुद्दा उठाया था।

उन्होंने कहा कि सवाल यह है कि यहां हिंदुओं का अनुपात क्यों बदल रहा है? यहां से उनका पलायन कैसे रोका जाए, यह विचारणीय प्रश्न है। आयोग के समक्ष पेश हुए संजय कुमार पोली ने कहा कि हम न्यायिक आयोग के बहुत आभारी हैं, जो उन्होंने संभल की सत्यता को उजागर किया। हम मांग करेंगे कि शासन हमारी सुरक्षा की गारंटी लें। पोली ने दावा किया कि हमने आयोग से जो बातें कही थीं, आज आयोग ने उनका सत्यापन कर दिया है।

गिरफ्तार तृणमूल विधायक जीवन साहा की रिश्तेदार से ईडी ने की पूछताछ

कोलकाता, 28 अगस्त (भाषा)।

मुर्शिदाबाद जिले से तृणमूल कांग्रेस के विधायक जीवन कृष्ण साहा को गिरफ्तार करने के बाद, ईडी ने गुरुवार को स्कूल भर्तियों में कथित अनियमितताओं की जांच के सिलसिले में उनकी रिश्तेदार से पूछताछ की।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पड़ोसी बीरभूम जिले की सैंथिया नगर पालिका में तृणमूल की पार्षद माया साहा भी भर्ती घोटाले में कथित रूप से शामिल थीं। अधिकारी ने कहा कि हम उनकी रिश्तेदार से पूछताछ कर रहे हैं। हमें पता चला है कि उनका नाम ज़मीन हड़पने के कई मामलों में शामिल है। प्रवर्तन विभाग (ईडी) के अधिकारियों ने सोमवार को बीरभूम में साहा की रिश्तेदार के आवास पर छापेमारी की। कोलकाता के सीजीओ कांप्लेक्स स्थित ईडी कार्यालय में प्रवेश करते समय माया ने भ्रष्टाचार में अपनी संलिप्तता के आरोपों को खारिज कर दिया।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा

जब तक जीवित हूं, मताधिकार किसी को छीनने नहीं दूंगी

कोलकाता, 28 अगस्त (भाषा)।

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को कहा कि वह किसी को भी लोगों का मताधिकार छीनने नहीं देंगी। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर आरोप लगाया कि वह बंगालियों पर 'भाषाई आतंक' फैला रही है।

तृणमूल कांग्रेस छात्र परिषद के स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने दावा किया कि भाजपा ने मतदाता सूचियों से मतदाताओं के नाम हटाने के उद्देश्य से सर्वेक्षण करने के लिए देश भर से 500 से अधिक टीम बंगाल में तैनात की हैं। आपको खुद जांच करनी चाहिए कि आपका नाम अब भी मतदाता सूची में है या उसे मतदाता सूची से हटा दिया गया है... आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आपके पास आधार कार्ड हैं।' मुख्यमंत्री ने कहा, 'जब तक मैं जीवित हूं, मैं किसी को भी लोगों का मताधिकार छीनने नहीं दूंगी।' बनर्जी ने आरोप लगाया कि निर्वाचन आयोग हमारे अधिकारियों को धमका रहा है। आयोग का अधिकार क्षेत्र केवल चुनाव के दौरान के तीन महीनों तक है, पूरे साल नहीं।' बनर्जी ने आरोप लगाया कि भाजपा स्वतंत्रता आंदोलन में बंगालियों द्वारा निभाई गई भूमिका को भुलाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि अगर बांग्ला भाषा ही नहीं है, तो राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत किस भाषा में लिखे गए हैं? वे चाहते हैं कि लोग स्वतंत्रता आंदोलन में बंगालियों की भूमिका को भुला दें। हम भाषाई आतंक बर्दाश्त नहीं करेंगे।' उन्होंने दावा किया कि उनके पूर्ववर्ती ब्रिटिश एजंट थे, जिन्होंने जेलों से बाहर निकलने के लिए वचन दिया था।' बनर्जी ने दावा किया कि उनके प्रशासन ने कई कल्याणकारी पहल की हैं, जबकि केंद्र विकास के नाम पर भ्रष्टाचार में लिप्त है। उन्होंने आरोप लगाया कि हम महिलाओं के लिए 'लक्ष्मी भंडार' योजना लेकर आए हैं, जबकि भाजपा के पास 'भ्रष्टाचार भंडार' और भाई-भतीजावाद है। वे देश को लूट रहे हैं, जबकि हम महिलाओं को सशक्त बना रहे हैं।'

> *ममता* ने दावा किया कि उनके प्रशासन ने कई कल्याणकारी पहल की हैं, जबकि केंद्र विकास के नाम पर भ्रष्टाचार में लिप्त है।
>
> *उन्होंने* कहा, हम महिलाओं के लिए 'लक्ष्मी भंडार' योजना लेकर आए हैं, जबकि भाजपा के पास 'भ्रष्टाचार भंडार' और भाई-भतीजावाद है। वे देश को लूट रहे हैं, जबकि हम महिलाओं को सशक्त बना रहे हैं।'

मध्यप्रदेश : ओबीसी को 27 फीसद आरक्षण देने पर सभी दल एकमत

भोपाल, 28 अगस्त (भाषा)।

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने गुरुवार को कहा कि राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को 27 फीसद आरक्षण दिए जाने को लेकर सभी राजनीतिक दल एकमत हैं और विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका तीनों मिलकर इसे लागू कराने के लिए संयुक्त प्रयास करेंगे।

कांग्रेस ने इसे अपनी जीत बताते हुए कहा कि ओबीसी आरक्षण को लेकर उसकी मांग पर आखिरकार भाजपा सरकार को झुकना पड़ा। इससे पहले, मध्यप्रदेश में सत्तारूढ़ भाजपा और विपक्षी कांग्रेस के बीच ओबीसी के लिए 27 फीसद आरक्षण के मुद्दे पर कई मौकों पर आरोप-प्रत्यारोप का दौर चला, जिसके बाद यह मामला उच्चतम न्यायालय पहुंचा। मुख्यमंत्री ने कहा कि मामला उच्चतम न्यायालय में लंबित है और 22 सितंबर से इसकी रोजाना सुनवाई होगी।

'पर्यटकों की भीड़ के कारण आतंकियों ने बैसरन घाटी को निशाना बनाया'

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 28 अगस्त।

जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए कायराना हमले के लिए आतंकवादियों ने बैसरन घाटी को इसलिए चुना था क्योंकि वहां पर्यटकों की भारी भीड़ होती है और यह अपेक्षाकृत एकांत में स्थित है। राष्ट्रीय जांच एजंसी (एनआइए) ने गुरुवार को यह जानकारी दी। एनआइए अधिकारियों ने बताया कि 22 अप्रैल को हुए इस आतंकवादी हमले में तीन आतंकवादी सीधे तौर पर शामिल थे। इस हमले में 26 लोग मारे गए थे।

मामले की जांच कर रही एनआइए के प्रवक्ता ने बताया कि सुरक्षा एजंसियों के प्रतिक्रिया समय को ध्यान में रखते हुए भी लक्ष्य का चयन किया गया था। उन्होंने कहा कि आतंकवादियों ने बैसरन को इसलिए निशाना बनाया क्योंकि वहां पर्यटकों की संख्या अधिक रहती है और यह अपेक्षाकृत एकांत में स्थित है तथा उन्हें यह भी लगता था कि सुरक्षा एजंसियों की ओर से जवाबी कार्रवाई किए जाने में समय लगेगा। एनआइए ने जून में तीन पाकिस्तानी आतंकवादियों को शरण देने के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार किए गए दोनों लोगों बटकोट निवासी परवेज अहमद जोथर और पहलगाम निवासी बशीर अहमद जोथर ने बताया कि तीनों हमलावर प्रतिबंधित संगठन लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) से संबद्ध पाकिस्तानी नागरिक हैं।

एनआइए अधिकारियों ने बताया था कि दोनों व्यक्ति आतंकवादियों को भोजन, आश्रय और रसद सहायता उपलब्ध कराते थे। उन्होंने बताया कि 28 जुलाई को श्रीनगर के बाहरी इलाके में 'आपरेशन महादेव' नामक अभियान में मारे गए लश्कर के तीन आतंकवादी हमले के बाद से दाचीगाम-हरवान वन क्षेत्र में छिपे हुए थे।

आस्था — प्रयागराज के एक मंदिर में गुरुवार को दसलक्षण पर्व के अवसर पर प्रार्थना और अनुष्ठान करते जैन समुदाय के श्रद्धालु।

विजयनगरम आइएस साजिश मामले में मुख्य आरोपी गिरफ्तार

नई दिल्ली, 28 अगस्त (ब्यूरो)।

राष्ट्रीय जांच एजंसी (एनआइए) ने जेहादी गतिविधियों के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में हथियारों की आपूर्ति में शामिल एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने गुरुवार को बताया कि बिहार निवासी आरिफ हुसैन उर्फ अबू तालिब को बुधवार शाम एनआइए की एक टीम ने इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय (आइजीआइ) हवाई अड्डे पर उस समय गिरफ्तार किया जब वह देश छोड़कर भागने की फिराक में था।

अधिकारियों ने बताया कि आरिफ विजयनगरम (आंध्र प्रदेश) आइएस आतंकी साजिश मामले का एक और प्रमुख आरोपी है। आरोपी को आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में एनआइए की विशेष अदालत में पेश किया जाएगा। जांच एजंसी के एक बयान में कहा गया है कि एनआइए की जांच से पता चला कि आरिफ आरोपी सिराज-उर-रहमान के संपर्क में था, जिसे पहले ही सैयद समीर के साथ मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है। आंध्र प्रदेश पुलिस और तेलंगाना पुलिस ने इस साल 17 मई को एक संयुक्त अभियान चलाया था।

भारत में कैद अपने एक नागरिक को पहचानने से पाकिस्तान का इनकार

कलकत्ता हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगी राय

कोलकाता, 28 अगस्त (भाषा)।

कलकत्ता हाई कोर्ट ने विदेशी नागरिक के रूप में दोषी ठहराये जाने और एक दशक से अधिक समय से जेल में बंद व्यक्ति को पाकिस्तान द्वारा अपना नागरिक मानने से इनकार करने के बाद केंद्र से राय मांगी है। वर्तमान में दमदम केंद्रीय कारा में बंद याचिकाकर्ता पी यूसुफ ने अदालत से अधिकारियों को उसे पाकिस्तान वापस भेजने का निर्देश देने का अनुरोध किया।

न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा ने भारत सरकार की ओर से पेश वकील को निर्देश दिया कि वह यूसुफ के संबंध में आगे की कार्रवाई के लिए उचित निर्देश प्राप्त करें। अदालत ने बुधवार को निर्देश दिया, 'याचिकाकर्ता को रिहा करना है या उसे हिरासत में रखना है, इस बारे में अधिकारियों द्वारा स्पष्ट रूप से सूचित किया जाए।'

अदालत ने यूसुफ के मौजूदा हालात पर गौर किया, जिसमें उसे यहां एक विदेशी नागरिक के रूप में दोषी तो ठहराया गया, लेकिन पाकिस्तान उसे अपना नागरिक मानने से इनकार कर रहा है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 17 सितंबर के लिए निर्धारित कर दी। यूसुफ के वकील ने अदालत में दलील दी कि उनके मुवक्किल को 2012 में बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में सीमा पार कर अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने के बाद गिरफ्तार किया गया था और चार अप्रैल, 2013 को दोषी ठहराए जाने के बाद उसे 650 दिनों के कारावास की सजा सुनाई गई।

वकील ने बताया कि यूसुफ को सजा बहुत पहले पूरी कर लेने के बावजूद वापस नहीं भेजा गया और वह दमदम केंद्रीय कारागार में बंद है। पश्चिम बंगाल सरकार के वकील ने अदालत में सुधार सेवा निदेशालय के प्रभारी अधिकारी की एक रपट पेश की। उन्होंने कहा कि रपट के अनुसार, राज्य सरकार के वकील ने कहा कि दो सह-आरोपियों को पाकिस्तान ने अपना नागरिक स्वीकार कर लिया, जबकि यूसुफ को पड़ोसी देश ने अपना नागरिक स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि इसके बाद याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय की एक अन्य पीठ के समक्ष दावा किया कि वह एक भारतीय नागरिक है और उसने केरल में संपत्ति का विक्रय पत्र भी संलग्न किए। राज्य सरकार के वकील ने कहा कि केरल सरकार की रपट में बताया गया कि यूसुफ ने कन्नूर के एक स्कूल में सातवीं कक्षा तक पढ़ाई की थी और उसके बाद अपने पिता मीर मोहम्मद के साथ पाकिस्तान चला गया था।

> *वकील* ने बताया कि यूसुफ को सजा बहुत पहले पूरी कर लेने के बावजूद वापस नहीं भेजा गया और वह दमदम केंद्रीय कारागार में बंद है। पश्चिम बंगाल सरकार के वकील ने अदालत में सुधार सेवा निदेशालय के प्रभारी अधिकारी की एक रपट पेश की।
>
> *उन्होंने* कहा कि यूसुफ को सजा बहुत पहले पूरी कर लेने के बावजूद वापस नहीं भेजा गया और वह दमदम केंद्रीय कारागार में बंद है।

अभिसार शर्मा को सुप्रीम कोर्ट ने असम में दर्ज प्राथमिकी के खिलाफ हाई कोर्ट जाने की सलाह दी

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 28 अगस्त।

सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकार और यूट्यूबर अभिसार शर्मा की उस चुनौती पर विचार करने से गुरुवार को इनकार कर दिया, जिसमें उन्होंने असम पुलिस द्वारा भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 के तहत दर्ज प्राथमिकी को चुनौती दी थी। उनके वीडियो में राज्य सरकार की सांप्रदायिक राजनीति की आलोचना की गई थी और एक निजी संस्था को 3000 बीघा जमीन आवंटित करने पर सवाल उठाए गए थे।

न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने शर्मा को उचित राहत के लिए गुवाहाटी हाई कोर्ट जाने के लिए चार हफ्तों की अंतरिम सुरक्षा प्रदान कर दी। साथ ही शर्मा द्वारा बीएनएस की धारा 152 की वैधता को चुनौती देने के सवाल पर नोटिस जारी कर दिया और इस मामले को पहले से इसी मुद्दे पर विचाराधीन मामले के साथ जोड़ दिया।

अभिसार शर्मा की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल की दलीलें सुनने के बाद पीठ ने यह आदेश पारित किया। सिब्बल ने दावा किया कि बीएनएस की धारा 152 एक सर्वव्यापी प्रावधान बन गया है। जिसका इस्तेमाल किसी के भी खिलाफ किया जा रहा है। हालांकि पीठ ने पूछा कि शर्मा हाई कोर्ट क्यों नहीं जा सकते? इस पर सिब्बल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही इसी तरह के एक मामले में हस्तक्षेप कर चुका है।

> *अभिसार* की ओर से वकील कपिल सिब्बल की दलीलें सुनने के बाद पीठ ने आदेश पारित किया।

GOODLUCK गुडलक डिफेंस एंड एयरोस्पेस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः II-एफ, 167, नेहरू नगर, गाजियाबाद-201001 (उत्तर प्रदेश)
CIN: U24103UP2023PLC188289; टेली.: 0120-4196600
ईमेलः goodluck@goodluckdefence.com; वेबसाइटः www.goodluckindia.com

सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी की दूसरी वार्षिक आम बैठक (एजीएम) 22 सितंबर, 2025, सोमवार को पूर्वाह्न 11.00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस (वीसी) या अन्य दृश्य-श्रव्य माध्यमों (ओएवीएम) के माध्यम से आयोजित की जाएगी, नोटिस में निर्धारित सामान्य और विशेष व्यवसाय करने के लिए।

यह कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत बनाए गए नियमों के लागू प्रावधानों के अनुपालन में है, अधिसूचनाओं और सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल, 2020, 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020, 20/2020 दिनांक 5 मई, 2020 और इस संबंध में जारी किए गए बाद के परिपत्रों के साथ पढ़ें, नवीनतम सामान्य परिपत्र 09/2024 दिनांक 19 सितंबर, 2024, (सामूहिक रूप से "एमसीए परिपत्र" के रूप में संदर्भित) ने सूचीबद्ध संस्थाओं को अपनी वार्षिक रिपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक मोड में भेजने की अनुमति दी है।

उपरोक्त परिपत्रों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2024-2025 की वार्षिक रिपोर्ट के साथ वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की सूचना केवल उन्हीं सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक मोड से भेजनी है जिनकी ई-मेल आईडी पहले से ही कंपनी/डिपॉजिटरी के पास पंजीकृत है। कंपनी पहले की तरह अपने सभी सदस्यों को ई-वोटिंग और रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा भी प्रदान कर रही है। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के तहत कोरम के लिए गिना जाएगा।

यदि आपकी ई-मेल आईडी पहले से ही कंपनी/डिपॉजिटरी के पास पंजीकृत है, तो वित्तीय वर्ष 2024-2025 की वार्षिक रिपोर्ट के साथ वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की सूचना और ई-वोटिंग के लिए लॉगिन विवरण आपके पंजीकृत ई-मेल पते पर भेजे जाएँगे। यदि आपने कंपनी/डिपॉजिटरी के पास अपनी ई-मेल आईडी पंजीकृत नहीं की है, तो कृपया वित्तीय वर्ष 2024-2025 की वार्षिक रिपोर्ट और ई-वोटिंग के लिए लॉगिन विवरण प्राप्त करने हेतु अपनी ई-मेल आईडी पंजीकृत करने के लिए नीचे दिए गए निर्देशों का पालन करें।

भौतिक धारिता	शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे कंपनी की दूसरी वार्षिक आम बैठक (एजीएम) के लिए अपने ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, बैंक खाते का विवरण और/या अन्य विवरण फॉर्म ISR-1 में प्रस्तुत करें, जो RTA की वेबसाइट info@nivis.co.in पर डाउनलोड टैब के अंतर्गत उपलब्ध है। आपसे अनुरोध है कि कृपया इसे नोट कर लें और अपने विवरण समय पर अपडेट करते रहें।
डीमैट धारिता	कृपया अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) से संपर्क करें और डीपी द्वारा बताई गई प्रक्रिया के अनुसार अपना ईमेल पता पंजीकृत करें।

मतदान संबंधी जानकारी
सदस्यों को ई-वोटिंग के माध्यम से वार्षिक आम बैठक बुलाने की सूचना में निर्धारित कार्यों पर दूरस्थ रूप से अपना वोट डालने का अवसर मिलेगा।
दूरस्थ ई-वोटिंग का विवरण इस प्रकार है:

रिमोट ई-वोटिंग प्रारंभ तिथि और समय	गुरुवार, 18 सितंबर, 2025 सुबह 9:00 बजे (आईएसटी)
रिमोट ई-वोटिंग की समाप्ति तिथि और समय	रविवार, 21 सितंबर, 2025 शाम 5:00 बजे (आईएसटी)

कृते गुडलक डिफेंस एंड एयरोस्पेस लिमिटेड
हस्ताक्षरकर्ता/-
(जगदीश प्रताप)
कंपनी सचिव
दिनांकः 28 अगस्त, 2025
स्थानः गाजियाबाद

अबराम फूड लिमिटेड

(पूर्व में अबराम फूड प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)
पंजीकृत कार्यालय : 605, पर्ल बिज़नेस पार्क, नियर फन सिनेमा, नेताजी सुभाष प्लेस, नई दिल्ली - 110034
फैक्ट्री पता : बी-34, एमआईए, अलवर, राजस्थान - 301030
सीआईएन संख्या : L15122DL2009PLC187783
टेलिफोन नंबर : 9717133544 ई-मेल आईडी : info@abramfood.in, वेबसाइट : www.abramfood.in

17वीं वार्षिक आम बैठक के संबंध में जानकारी

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि अबराम फूड लिमिटेड के सदस्यों की 17वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) सोमवार, 29 सितंबर, 2025 को अपराह्न 3:00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी')/ अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों ('ओएवीएम') के माध्यम से कंपनी अधिनियम, 2013 के सभी लागू प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुपालन में सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020, 17/2020, 20/2020, 02/2021, 02/2022, 10/2022 और 9/2023 दिनांक 8 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020, 5 मई, 2020, 13 जनवरी, 2021, 5 मई, 2022, 28 दिसंबर, 2022 और 25 सितंबर 2023 क्रमशः ('एमसीए सर्कुलर'), और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा जारी परिपत्र यानी 12 मई, 2020, 15 जनवरी, 2021, 13 मई, 2022, 5 जनवरी, 2023 और 7 अक्टूबर, 2023 (सामूहिक रूप से 'सेबी सर्कुलर' के रूप में संदर्भित) के परिपत्र के अनुपालन में एजीएम के नोटिस में निर्धारित व्यवसाय को संचालित करने के लिए, जिसे एजीएम बुलाने के लिए प्रसारित किया जा रहा है, आयोजित होने वाली है। उक्त बैठक का स्थान कंपनी का पंजीकृत कार्यालय 605, पर्ल बिज़नेस पार्क, फन सिनेमा के पास, नेताजी सुभाष प्लेस, नई दिल्ली -110034 माना जाएगा।

उपर्युक्त परिपत्रों के अनुपालन में और सरकार की गो-ग्रीन पहल को आगे बढ़ाने के लिए, 17वीं एजीएम की सूचना और वित्तीय वर्ष 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट कंपनी द्वारा उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजी जाएगी जिन्होंने कंपनी/आरटीए/डिपॉजिटरी प्रतिभागी(यों) ('डिपॉजिटरी') के साथ अपनी ईमेल आईडी पंजीकृत की है। एमसीए परिपत्र/परिपत्रों और सेबी परिपत्रों के अनुसार, एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट की कोई भौतिक/हार्ड कॉपी किसी भी सदस्य को नहीं भेजी जाएगी, सिवाय उन शेयरधारकों के जिन्होंने वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 की भौतिक प्रति के लिए अनुरोध किया है। एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट www.abramfood.in और बीएसई लिमिटेड की www.bseindia.com पर भी उपलब्ध होगी।

एजीएम में भाग लेने और रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान करने तथा एजीएम में ई-वोटिंग के लिए विस्तृत निर्देश 17वीं एजीएम की सूचना में दिए जा रहे हैं।

सदस्य यह भी ध्यान दें कि कंपनी अपने सदस्यों को एजीएम की सूचना में निर्धारित प्रस्तावों पर मतदान करने में सक्षम बनाने के लिए सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड की ई-वोटिंग सेवाओं का लाभ उठाएगी। कंपनी ने एजीएम के दौरान रिमोट ई-वोटिंग या ई-वोटिंग द्वारा मतदान करने हेतु सदस्यों की पात्रता निर्धारित करने के लिए सोमवार, 22 सितंबर, 2025 को 'कट-ऑफ तिथि' निर्धारित की है। सदस्य ध्यान दें कि रिमोट ई-वोटिंग अवधि गुरुवार, 25 सितंबर, 2025 (सुबह 9:00 बजे IST) से शुरू होगी और रविवार, 28 सितंबर, 2025 (शाम 5:00 बजे IST) को समाप्त होगी। इसके अतिरिक्त, कंपनी एजीएम के दौरान मतदान करने के लिए ई-वोटिंग प्रणाली भी प्रदान करेगी।

इसके अलावा, कंपनी के जिन सदस्यों ने अपने ईमेल पते पंजीकृत नहीं कराए हैं, वे भी वार्षिक आम बैठक में भाग ले सकते हैं और वार्षिक आम बैठक की सूचना में दी गई प्रक्रिया का पालन करके मतदान कर सकते हैं।

यह प्रक्रिया उन शेयरधारकों के लिए है जिनके ईमेल/मोबाइल नंबर कंपनी/डिपॉजिटरी में पंजीकृत नहीं हैं।

1. भौतिक शेयरधारकों के लिए - कृपया कंपनी/आरटीए ईमेल आईडी पर ईमेल द्वारा फोलियो नंबर, शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाणपत्र की स्कैन की गई प्रति (आगे और पीछे), पैन (पैन कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन की गई प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन की गई प्रति) जैसे आवश्यक विवरण प्रदान करें।
2. डीमैट शेयरधारकों के लिए - कृपया अपने संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागी (डीपी) के साथ अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर अपडेट करें।
3. व्यक्तिगत डीमैट शेयरधारकों के लिए - कृपया अपने संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागी (डीपी) के साथ अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर अपडेट करें, जो ई-वोटिंग और डिपॉजिटरी के माध्यम से वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने के दौरान अनिवार्य है।

यह सूचना कंपनी के सभी सदस्यों की जानकारी और लाभ के लिए एमसीए और सेबी के लागू परिपत्रों के अनुपालन में जारी की जा रही है।

अबराम फूड लिमिटेड के निदेशक मंडल के आदेशानुसार
कृते/-
संजीव गौर
कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी
स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 29.08.2025

IMGC

शाखा कार्यालय बंद होने की सूचना

यह सूचना **इंडिया मॉर्गेज गारंटी कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड** ("कंपनी" या "आईएमजीसी") द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी – स्केल आधारित विनियमन) निर्देश, 2023 के मास्टर निर्देश के पैराग्राफ 43 के अनुसरण में जारी की जा रही है, जिसमें समय-समय पर किए गए संशोधन भी शामिल हैं।

हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि आईएमजीसी का नोएडा शाखा कार्यालय (अर्थात **यूनिट संख्या 405ए, चौथी मंजिल, प्लॉट संख्या सी-1, डब्ल्यूटीटी टावर बी, सेक्टर-16, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश, 201301**) 30 नवंबर, 2025 (कार्य समय समाप्ति के बाद) से बंद रहेगा।

इस संबंध में किसी भी स्पष्टीकरण और/या आपत्ति के लिए हमसे निम्नलिखित तरीके से संपर्क किया जा सकता है:

संपर्क विवरण			कॉर्पोरेट कार्यालय का पता
नाम और पदनाम	संपर्क संख्या	ईमेल आईडी	
पुनीत जॉली, कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी	+(91)-(120)-489-8000	compliance@imgc.com	चौथी मंजिल, यूनिट संख्या 405, टावर बी, वर्ल्ड ट्रेड टावर (डब्ल्यूटीटी), प्लॉट संख्या सी-1, सेक्टर 16, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश, 201301

इस सूचना की एक प्रति कंपनी की वेबसाइट https://www.imgc.com पर भी उपलब्ध है।

हस्ताक्षरित/-
इंडिया मॉर्गेज गारंटी कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड
सीआईएनः U65922DL2006FTC153640
पंजीकृत कार्यालयः टी-10, तीसरी मंजिल, प्लॉट संख्या 9, एच.एल. प्लाजा, पॉकेट-2, सेक्टर 12, द्वारका, दिल्ली-110075

Advertisement